न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाड़ा (राज0)

श्रीमती सुमित्रा बनाम गोवर्धन सिंह व अन्य

Online No. 2022/519

धारा 111—128 एल0आर0ए मुकदमा 362/2022

04.10.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीया अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो, नम्बर से कम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 362 / 2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्रीमती सुमित्रा पत्नी श्री राजमल खटीक निवासी 148, खटीक मोहल्ला, सांगानेरी गेट, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा–राज0

–प्रार्थीया

बनाम

1. गोवर्धन सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह राजपूत, निवासी गोविन्द सिंह जी का खेड़ा, दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज0
2. भगवान सिंह पुत्र श्री शिव सिंह राजपूत, निवासी गोविन्द सिंह जी का खेड़ा, दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज0
3. भंवर सिंह पुत्र श्री शिव सिंह राजपूत, निवासी गोविन्द सिंह जी का खेड़ा, दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज0
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा–राज0

–विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 04.10.2022

उपस्थित–1– मनीष कांटिया – प्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद जित्याखेड़ी पटवार हल्का दांथल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 41 में आराजी नं. 1271 रकबा 0.6449 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1273 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, आराजी नं. 1274 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, आराजी नं. 1276 रकबा 0.2276 हेक्टेयर, आराजी नंबर 1277 रकबा 0.0885 हैक्टेयर कुल किता 05 रकबा 1.2645 हैक्टेयर भूमि की खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीया एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीया अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 जित्याखेड़ी पटवार हल्का दांथल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 41 में आराजी नं. 1271 रकबा 0.6449 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1273 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, आराजी नं. 1274 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, आराजी नं. 1276 रकबा 0.2276 हेक्टेयर, आराजी नंबर 1277 रकबा 0.0885 हैक्टेयर कुल किता 05 रकबा 1.2645 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थीया अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने की अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते हैं तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएंव

// आदेश //

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर जित्याखेड़ी पटवार हल्का दांथल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दांथल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 41 में आराजी नं. 1271 रकबा 0.6449 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1273

रकबा 0.1770 हैक्टेयर, आराजी नं. 1274 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, आराजी नं. 1276 रकबा 0.2276 हेक्टेयर, आराजी नंबर 1277 रकबा 0.0885 हैक्टेयर कुल किता 05 रकबा 1.2645 हैक्टेयर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 250/- रूपये तहसीलदार भीलवाडा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थीया जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये **भू0अ0निरीक्षक दांथल 500/-रूपये (पांच सौ रूपये)** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयो में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 दांथल जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीया व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।

(ओम प्रभा)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा